बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल: bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 01-03/2019 85 /पटना, दिनांक 09/01/2020

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स० स०),
सभी अनुमंडल पदाधिकारी -सह- उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)।
बिहार।

विषयः **प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी का संधारण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निर्वाचन व्यय का लेखा के संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा 8 एवं 9 में निम्नलिखित उपबंध किये गये हैं-

धारा 8- निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि- (1) किसी निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार जिस तारीख को उसका नाम निर्देशन हुआ हो उस तारीख से लेकर उसका परिणाम घोषित किये जाने की तारीख तक उपगत और उसके द्वारा प्राधिकृत, निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता से रखवायेगा।

धारा 9- निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निरर्हता- यदि निर्वाचन प्राधिकार का समाधान हो जाय कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य नहीं है तो राज्य निर्वाचन प्राधिकार आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित कर देगा तथा ऐसा व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा।

उक्त आलोक में प्राधिकार के पत्रांक 928 दिनांक 01.07.2019 द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के निर्वाचन के निमित निर्वाचन व्यय के अधिसीमा के निर्धारण एवं निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। चूँकि प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) एक प्राथमिक सहकारी समिति है, अतः उक्त पत्र द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश इस पर भी समान रूप से लागू हैं। उक्त पत्र द्वारा निर्गत दिशा निर्देश सार रूप में निम्नलिखित हैं-

1. निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक अभ्यर्थी अपने व्यय से संबधित लेखा-जोखा निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत करेगा।

2. निर्वाचन पदाधिकारी समर्पित लेखा की सत्यता के संबंध में जाँच करेगा एवं तत्पश्चात् अपने कार्यालय के सूचना पट पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा-

(क) तिथि, जिस दिन लेखा जमा किया गया है

(ख) अभ्यर्थी का नाम, और

(ग) समय एवं स्थान, जहाँ ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकता है।

लेखा जमा करने के 10 दिनों के अन्दर जाँच पूरी कर ली जानी चाहिए।

3. निर्वाचन की तिथि से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र - ई 16 में दिये गये व्यय संबंधी विवरण की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) -सह- जिला पदाधिकारी एवं प्राधिकार को देगा।

4. उस अभ्यर्थी को प्राधिकार द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से मात्र एक 'कारण बताओ' नोटिस निर्गत की जायेगी जो विहित अवधि के भीतर व्यय विवरण समर्पित करने में असमर्थ रहता है। निबंधित डाक से सूचना भेजे जाने पर, अगर एक महीने की अवधि के अन्तर्गत Undelivered की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जायेगा कि नोटिस का तामिला हो चुका है, तथा नोटिस निर्गत होने की तिथि से एक माह बीत जाने पर मामले को निष्पादित कर दिया जायेगा। सूचना की एक प्रति संबंधित समिति के सचिव को भी अभ्यर्थी को तामिला कराने हेतु भेजी जायेगी।

उक्त प्रावधान के संबंध में कहना है कि प्रपत्र - ई 16 में दिये गये व्यय संबंधी विवरण की सूचना प्राधिकार को देने की अवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यह सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देना आवश्यक होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा विहित अवधि में व्यय विवरण समर्पित नहीं किया गया है, उनके संबंध में प्राधिकार की ओर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 'कारण बताओ' नोटिस निर्गत किया जायेगा। निर्वाचन व्यय का ब्यौरा निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं करने वाले या विलम्ब से प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित मामले की समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। समीक्षोपरान्त जिन मामलों में प्राधिकार स्तर से कार्रवाई आवश्यक होगी, उन्हें प्राधिकार को दिनांक 07 अप्रैल, 2020 तक समर्पित किया जायेगा।

अत: अनुरोध है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा ससमय दे दिया गया है, उनके लेखा की समीक्षा की जाय कि उनके द्वारा अधिसीमा के तहत व्यय किया गया है या नहीं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं दिया गया है, या विलम्ब से दिया गया है, उनसे कारण-पृच्छा की जाय एवं गुण-दोष के आधार पर निरर्हित किये जाने योग्य अभ्यर्थियों की सूची अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

9.1.20

(रंजना कुमारी)

संयुक्त सचिव।